# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 12 / 2021

श्री काना सैनी पुत्र गोपाल माली निवासी ग्राम गुन्सी लुहारा, तहसील निवाई जिला टोंक राज.

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक

––प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय** दिनांक 22–7–2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 05–02–2021 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1 मेरे द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र पर श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय राजस्व के पत्र कमांक F-12 ( ) राजस्व/विविध/2019/3396 दिनांक 10.9.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी निवाई को प्रेषित आदेश पर उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अतः की गई कार्यवाही की सूचना मय रिकार्ड व कारण के वांछित है।

2 मेरे द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र पर श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय राजस्व के पत्र कमांक F-12 ( ) राजस्व/विविध/2019/4318 दिनांक 5.10.2020 द्वारा तहसीलदार निवाई को प्रेषित आदेश पर तहसीलदार निवाई द्वारा अतिकमण हटाने संबंधित कार्यवाही की सूचना उपलब्ध नही कराई गई है।

अतः शिकायत प्रत्र (प्रार्थना–पत्र) में वर्णित ग्राम गुन्सी तहसील निवाई में वर्णित गे.मु. रास्ते की भूमि जो ग्राम गुन्सी के खं.न. 1019 से सटवा है। पर से पूर्ण रूप से अतिकमण नहीं हटाया गया है। अतिकमण पूर्ण रूप हटवाया जाकर उपरोक्त वर्णित आदेश की पालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाया जावे।

3 मेरे द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र पर श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय राजस्व के पत्र कमांक F-12 ( ) राजस्व/विविध/2019/87 दिनांक 4.1.2021 द्वारा तसहीलदार निवाई के प्रेषित आदेश पर तहसीलदार निवाई द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है और न ही मौके से पूर्ण रूप से अतिकमण हटवाया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित आदेश की पालना करते हुए मौके से [illegible] से अतिकमण हटवाया जावे व पालना रिपोर्ट मय मौका पर्चा [illegible] उपलब्ध करवाई [illegible]

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना [illegible] नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। [illegible] दर्ज रजिस्टर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:36:36 IST
Reason: SelfAttested

गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई और तसहीलदार निवाई से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई द्वारा पत्र क्रमांक 463 दिनांक 06–7–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना के क्रम में अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 1.12.2020 को ग्राम गुन्सी के हटाये गये अतिक्रमण दिनांक 29.10.2020 की नकल उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न है।

आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र पर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है उसके द्वारा पृथक से नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सूचना उपलब्ध करवाई गई है। फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को निर्णय प्रति प्राप्ति के वांछित सूचना 20 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला– टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:36 IST
Reason: SelfAttested